"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 141] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 अप्रैल 2017—चैत्र 30, शक 1939

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 25-15/2016/नौ/17-दो. — औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 25-15/2016/नौ/17-2, दिनांक 23 फरवरी, 2016 में संशोधन करती है तथा निम्नलिखित औषधि निरीक्षक को, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु, उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के प्रयोजनों के लिये निरीक्षक के रुप में भी कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

सरल क्रमांक 76 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"77. श्री संजीव कुमार पैकरा"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2017

क्रमांक एफ 25-15/2016/नौ/17-दो. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-04-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 11th April 2017

NOTIFICATION

No. F 25-15/2016/IX/17-II. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940), the State Government, hereby, amends the department's Notification No. F 25-15/2015/9/17-2, dated 23rd February, 2016 and appoints the following Drugs Inspector to also act as Inspector for the purpose of Chapter-IV of the said Act for the whole State of Chhattisgarh, namely :-

AMENDMENT

In the said notification,-

After serial number 76, the following shall be added, namely :-

"77. Shri Sanjeev Kumar Paikra"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU , Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.